अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 24-1-18
को पेश हो।

[illegible] वादी व प्रतिवादी वकील [illegible]
[illegible] अन्य कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 27/2/18
को पेश हो।

पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप०। वकील
को तलबाना। जवाब पेश करने हेतु अंतिम
[illegible] किया जाता है प्रतिवादी की तलबी
पत्रावली आईन्दा दिनांक 5/5/18 को पेश हो।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावल
पूर्व आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 31/5/18 को प्रस्तुत हो

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके
द्वार-2018 अभियान ग्राम पंचायत 61
में आयोजित होने के कारण पेशी में ली गई। सम्बन्धित
पक्षकारान को वास्ते तलबी नोटिस/ सम्मन जारी होकर
पत्रावली आईन्दा दिनांक 11/6/18 पेश हो।

पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प 61 में प्रस्तुत हुई। वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वादी ने अवगत करवाया कि प्रतिवादी सं० 1 तहसील विजयनगर के चक 21 GB में आबाद है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में आदेशिका दिनांक 5.8.16 द्वारा प्रतिवादी सं० 2 के विरुद्ध Exparty किया जा चुका। प्रतिवादी सं० 1 के संबंध में तामील कुनिंदा की रिपोर्ट अनुसार सम्मन पर दिए गए पत्ते पर आबाद नहीं है, पूछताछ में 21 GB विजयनगर में होना अवगत करवाते हुए रिपोर्ट भिजवाई

पत्रावली में जारी सम्मन पर भी तामील कुनिन्दा ने प्रतिवादी सं० 1 के 21GB में रहने की रिपोर्ट की गई है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार वादी स्वयं को प्रतिवादी सं. 1 तहसील विजयनगर के 21GB में आवासरत होने की जानकारी होने तथा तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट में 21GB में आवासरत की रिपोर्ट आने के बावजूद वादी द्वारा संशोधित पता पर तामील हेतु प्रयास नहीं किए गए तथा ना ही संशोधित पता पर तामील हेतु सम्मन तलवाना पेश किए। इससे जाहिर होता है कि वादी वाद को निस्तारण करवाने में इच्छुक नहीं है अनावश्यक में वाद को लम्बित रखने में प्रयासरत है। अतः वादी का वाद पत्र CPC के आदेश 9 नियम 5 के तहत वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय मजमे आम सुनाया जाकर लिखाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

11/6/18

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
श्री...